The Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025

Act No. 21 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 16, बुधवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 08, 2025
Asvina 16, Wednesday, Saka 1947- October 08, 2025

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 6, 2025

संख्या प.2(30)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 21)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 को प्राप्त हुई)

दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या आनलाईन याचना द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह या विवाह के झांसे द्वारा एक धर्म से अन्य धर्म में विधिविरुद्ध संपरिवर्तन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्रलोभन" से अभिप्रेत है और इसमें-

(i) नकद या वस्तु के रूप में कोई दान, पारितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ;

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा संचालित संस्थाओं में नियोजन, नि:शुल्क शिक्षा;

(iii) बेहतर जीवन शैली, दैवीय अप्रसाद या अन्यथा;

(iv) विवाह के झांसे;

(v) किसी धर्म की प्रथा, अनुष्ठानों और संस्कारों या उसके किसी अभिन्न अंग को अन्य धर्म के सामने हानिकारक रूप में चित्रित करने; या

(vi) एक धर्म को अन्य धर्म के विरुद्ध महिमामंडित करने,

के रूप में प्रलोभित करने का प्रस्ताव, सम्मिलित है;

(ख) "प्रपीड़न" से, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल द्वारा शारीरिक क्षति कारित करने या उसकी धमकी के प्रयोग द्वारा किसी व्यष्टि को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना और बल प्रयोग करना अभिप्रेत है;

(ग) "संपरिवर्तन" से धर्म, अनुष्ठानों और विश्वासों के एक समूह से किसी अन्य धर्म और उसके अनुष्ठानों और विश्वासों में प्रत्येक स्तर पर परिवर्तन की प्रक्रिया, अभिप्रेत है, किन्तु अपने मूल धर्म अर्थात् पैतृक धर्म में पहले से ही संपरिवर्तित हुए किसी व्यक्ति की वापसी को संपरिवर्तन नहीं समझा जायेगा;

(घ) "संपरिवर्तन के लिए विश्वास दिलाना" से किसी व्यक्ति को उसका धर्म त्यागने और दूसरा धर्म ग्रहण करने के लिए सहमत कराना अभिप्रेत है;

(ङ) "डिजिटल मोड" से संसूचना, डाटा ट्रांसमिशन, या अन्तर्वस्तु प्रसार का कोई इलेक्ट्रानिक माध्यम अभिप्रेत है और इसमें:

(i) सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट, जो सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक प्रोफाइल के सृजन, उपयोक्ताओं के मध्य संबंध और एक सीमाबद्ध प्रणाली के भीतर-भीतर ऐसे संबंधों को देखने और उनके चक्रमण को सुकर बनाती हैं;

(ii) आनलाइन समुदायों का निर्माण करने, रूचि और क्रियाकलापों को साझा करने, और इलेक्ट्रानिक मेल, मैसेजिंग एप्लिकेशन और आनलाइन फोरम जैसे डिजिटल इंटरैक्शन के विभिन्न प्ररूपों को सामर्थ्यकारी बनाने के लिए डिजाइन किये गये सोशल मीडिया एप्लिकेशन;

(iii) संसूचना, सूचना विनिमय, या अन्तर्वस्तु प्रकाशन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कोई अन्य आनलाइन या इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, माध्यम या डिवाइस,

सम्मिलित हैं, किन्तु यह उन्हीं तक सीमित नहीं है;

(च) "जिला मजिस्ट्रेट" से जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सम्मिलित है;

(छ) "बल" में दैवीय अप्रसाद या सामाजिक जाति बहिष्कार की धमकी सहित, संपरिवर्तित व्यक्ति या संपरिवर्तित होने हेतु ईप्सित व्यक्ति को या उसके माता-पिता या सहोदरों को या विवाह, दत्तक, संरक्षकता या अभिरक्षा द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को या उनकी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी या बल का प्रदर्शन सम्मिलित है;

(ज) "कपटपूर्ण साधन" में, मिथ्या नाम, उपनाम, और धार्मिक प्रतीक द्वारा या अन्यथा किसी प्रकार का प्रतिरूपण सम्मिलित है;

(झ) "संस्थाओं" से समस्त विधिक इकाइयां, शैक्षणिक संस्थाएं, अनाथालय, वृद्धाश्रम, चिकित्सालय, धार्मिक मिशनरी, गैर-सरकारी संगठन और लोक स्वरूप प्रकार के ऐसे अन्य संगठन अभिप्रेत और सम्मिलित हैं;

(ञ) "सामूहिक संपरिवर्तन" से, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संपरिवर्तित किया जाये, अभिप्रेत है;

(ट) "अवयस्क" से, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है;

(ठ) "गलत सूचना" से मिथ्या या गलत सूचना अभिप्रेत है;

(ड) "आनलाईन याचना" से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है, जिसमें किसी व्यक्ति को वर्चुअल मोड के माध्यम से संपरिवर्तन करने के लिए उसको मनाना अंतर्ग्रस्त है;

(ढ) "व्यक्ति" से कोई व्यक्ति, व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह, सोसाइटी या न्यास, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या अरजिस्ट्रीकृत, कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं;

(ण) "प्रचार" से किसी माध्यम (मुद्रित सामग्री, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लिकेशन या कोई अन्य डिजिटल मोड) के द्वारा, दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन, कपटपूर्ण साधन, विवाह या विवाह के झांसे द्वारा विधिविरुद्ध संपरिवर्तन करने या सुकर बनाने के आशय से, गलत सूचना सहित सूचना, विचारों या विश्वासों का सुनियोजित प्रसार करना अभिप्रेत है;

(त) "संपत्ति" या "परिसर" से कोई जंगम या स्थावर संपत्ति अभिप्रेत और सम्मिलित है, जिसमें भूमि, भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे, और भू-बद्ध वस्तुएं, या किसी भी भू-बद्ध वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं सम्मिलित होंगी;

(थ) "धर्म" से, भारत या उसके किसी भाग में यथा प्रचलित उपासना पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की कोई संगठित प्रणाली, और जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रूढि के अधीन परिभाषित हो, अभिप्रेत है;

(द) "धर्म संपरिवर्तक" से, किसी धर्म का कोई व्यक्ति या व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो एक धर्म से अन्य धर्म में संपरिवर्तन करने का कोई कार्य करते हैं;

(ध) "धर्माचार्य" से किसी भी धर्म का पुजारी अभिप्रेत है, जो किसी भी धर्म का शुद्धिकरण संस्कार या धर्म-संपरिवर्तन संस्कार करता है और उसे चाहे किसी भी नाम जैसे पुजारी, पण्डित, मुल्ला, मौलवी, फादर इत्यादि से पुकारा जाये;

(न) "असम्यक् असर" से, ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए किसी अन्य को मनाने के क्रम में, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग करना या अन्य व्यक्ति पर असर डालना, अभिप्रेत है;

(प) "विधिविरुद्ध संपरिवर्तन" से, कोई संपरिवर्तन अभिप्रेत है जो देश की विधि के अनुसार न हो;

(फ) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति निर्दिष्ट है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के परिणामत: किसी हानि या नुकसान से पीड़ित हो, और इसमें ऐसे पीड़ित का संरक्षक और विधिक वारिस भी सम्मिलित है।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त किये गये हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46), और राजस्थान साधारण खंड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.8) और भारत या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन संहिताओं/अधिनियमों में क्रमशः उन्हें समनुदेशित है।

3. दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक् असर, विश्वास दिलाना, प्रचार, प्रपीड़न, प्रलोभन, आनलाईन याचना, विवाह या विवाह के झांसे या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध.- (1) कोई व्यक्ति प्रचार सहित दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक् असर, मनाना, प्रपीड़न, प्रलोभन, आनलाईन याचना, विवाह या विवाह के झांसे या किसी अन्य कपटपूर्ण साधन के प्रयोग या व्यवहार द्वारा या अन्य कपटपूर्ण साधनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, प्रत्यक्षत: या अन्यथा, एक धर्म से किसी अन्य में संपरिवर्तित या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण, विश्वास दिलाना, प्रकोपन या षड्यंत्र नहीं करेगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे संपरिवर्तन के लिए याचना, प्रोत्साहित, दुष्प्रेरित, सहायता, सहयोग, सांठ-गांठ और षडयंत्र करता है, वह इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से अभियोजित किये जाने के लिए दायी होगा मानो ऐसे व्यक्ति ने स्वयं ऐसा कृत्य कारित किया है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, विवाह के अनुष्ठान द्वारा या विवाह की प्रकृति के किसी संबंध द्वारा या विवाह के झांसे और इस उप-धारा में प्रगणित अन्य कारकों के कारण संपरिवर्तन इसमें सम्मिलित समझा जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति फर्जी पहचान का उपयोग नहीं करेगा, धार्मिक, सामाजिक या अन्य पहचान का दुरुपयोग नहीं करेगा, सार्वजनिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति विवाह के आशय से अपना धर्म नहीं छिपायेगा/छिपायेगी।

(4) यदि, कोई व्यक्ति मूल धर्म अर्थात् पैतृक धर्म में पुन: संपरिवर्तित हो जाता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन संपरिवर्तन नहीं समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए मूल धर्म अर्थात् पैतृक धर्म से वह धर्म, जिसमें उस व्यक्ति के पूर्वजों/पैतृकों की आस्था, विश्वास था या जो उस व्यक्ति के पूर्वजों/पैतृकों द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अपनाया गया था, अभिप्रेत है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति.- अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में कोई सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी और ऐसी सूचना दिये जाने की रीति वही होगी, जैसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) के अध्याय 13 में दी गयी है।

5. धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड.- (1) जो कोई भी धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम का नहीं होगा:

परन्तु यह कि जो कोई भी किसी अवयस्क, दिव्यांगजन, किसी महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के संबंध में, धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दस लाख रुपये से कम का नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जो कोई भी धर्म के सामूहिक संपरिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो पच्चीस लाख रुपये से कम का नहीं होगा।

(2) जो कोई भी विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करता है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो बीस लाख रुपये से कम का नहीं होगा।

(3) जो कोई भी, संपरिवर्तित करने के आशय से, किसी व्यक्ति को उसके जीवन या संपत्ति के लिए भय में डालता है, हमला करता है या बल का प्रयोग करता है या विवाह करता है या विवाह करने का वचन देता है या इसके लिए उत्प्रेरित करता है या षडयंत्र करता है, या किसी अवयस्क, स्त्री या व्यक्ति को फुसलाकर या अन्यथा उन्हें बेचकर उनका दुर्व्यापार करता है, या इस निमित्त दुष्प्रेरित करता है, प्रयत्न करता है या षडयंत्र करता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, दण्डित किया जाएगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो तीस लाख रुपये से कम का नहीं होगा:

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किया गया कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जायेगा।

(4) न्यायालय उक्त संपरिवर्तन के पीड़ित को, अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर प्रदान करेगा, जो जुर्माने के अतिरिक्त दस लाख रुपये तक हो सकेगा:

परन्तु अभियुक्त के प्रतिकर का संदाय करने में असफल रहने की दशा में, शोध्य रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(5) जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध हो चुका है और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोषसिद्ध होता है, उसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो पचास लाख रुपए से कम का नहीं होगा।

(6) वह संपत्ति, जहां किसी व्यक्ति का एक धर्म से किसी अन्य धर्म में विधिविरुद्ध संपरिवर्तन करने का अपराध घटित हुआ है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् जांच संस्थित करने के पश्चात्, समपहृत कर ली जायेगी।

स्पष्टीकरण.- संपत्ति में, इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष व्यक्ति से संबंधित संपत्ति या अन्य से संबंधित किन्तु सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा विधिविरूद्ध संपरिवर्तन के लिए स्वामी की सम्मति से या बिना सम्मति के उपयोग में ली गई संपत्ति सम्मिलित है।

6. विधिविरुद्ध संपरिवर्तन या विपर्ययेन के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया विवाह शून्य घोषित किया जाना.- (1) विधिविरुद्ध संपरिवर्तन या विपर्ययेन के एकमात्र प्रयोजन के लिए एक धर्म के पुरुष द्वारा किसी अन्य धर्म की महिला के साथ या तो विवाह से पूर्व या पश्चात् स्वयं को संपरिवर्तित करके या विवाह से पूर्व या पश्चात् महिला को संपरिवर्तित करके, किया गया कोई विवाह, विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर, कुटुंब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुंब न्यायालय स्थापित न हो, वहां ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा, शून्य घोषित कर दिया जायेगा:

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त उपबंध के निर्वचन के प्रयोजन के लिए विवाह के अन्तर्गत विधिवरुद्ध संपरिवर्तन का कार्य करने हेतु विवाह या विवाह के समरूप भागीदारी सम्मिलित है जैसे एक निवास में या अन्यथा दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सहवास।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक याचिका कुटुंब न्यायालय के समक्ष या जहां कुटुंब न्यायालय स्थापित नहीं है, ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष पेश की जायेगी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के अन्दर-

(i) विवाह अनुष्ठापित हुआ था; या

(ii) प्रत्यर्थी, याचिका के प्रस्तुत किये जाने के समय, निवास करता है; या

(iii) विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था; या

(iv) यदि, पत्नी याची है, तो जहां वह याचिका प्रस्तुत किये जाने के समय निवास कर रही है।

7. अपराधों का अजमानतीय और संज्ञेय होना.- (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो, तो जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि,-

(क) ऐसे छोड़े जाने के आवेदन पर लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर न दे दिया गया हो; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

8. धर्म-संपरिवर्तन पूर्व घोषणा और संपरिवर्तन के बारे में पूर्व-रिपोर्ट.- (1) वह व्यक्ति, जो अपना धर्म संपरिवर्तित करना चाहता/चाहती है, उसे अनुसूची-1 में विहित प्ररूप में, कम से कम नब्बे दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, यह घोषणा देनी होगी कि वह स्वयं और अपनी स्वतंत्र सहमति से और किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक् असर, प्रचार, विश्वास दिलाना, प्रलोभन, दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, आनलाईन याचना या किन्हीं अन्य कपटपूर्ण साधनों के बिना अपना धर्म-संपरिवर्तन करना चाहता/चाहती है।

(2) धर्म संपरिवर्तक, और धर्माचार्य, जो किसी एक धर्म के व्यक्ति को किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तन करने के लिए संपरिवर्तन अनुष्ठान संपादित करता है, ऐसे संपरिवर्तन का दो माह पूर्व नोटिस, अनुसूची-2 में विहित प्ररूप में, जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जहां ऐसा अनुष्ठान संपादित किया जाना प्रस्तावित हो, इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की रैंक से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी को देगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट उप-धारा (1) या (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात्, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ग्राम पंचायत के किसी कार्यालय के सूचना-पट्ट पर और स्थानीय स्वशासन के कार्यालय में जब किसी मामले में आक्षेप मंगवाये जायें, धर्म-संपरिवर्तन के प्रस्ताव को प्रदर्शित करेगा। यदि कोई आक्षेप साठ दिवस के भीतर प्राप्त होते हैं, तो वह, यदि स्थिति ऐसी हो, प्रस्तावित धर्म-संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में, स्थानीय क्षेत्र पुलिस, राजस्व विभाग या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पदधारियों और स्थानीय स्वशासन के पदधारियों, जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, के माध्यम से समयबद्ध जांच संचालित करायेगा। उपर्युक्त उल्लिखित प्राधिकारी अपनी ओर से जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस संबंध में ऐसे नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा निर्देश प्राप्त होने के दस दिनों की अवधि के भीतर-भीतर, अधिमानत: उक्त जांच का संचालन और समापन करेंगे।

(4) उप-धारा (1) और/या उप-धारा (2) का उल्लंघन, प्रस्तावित संपरिवर्तन को अवैध और शून्य बना देने का प्रभाव रखेगा।

(5) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो तीन लाख रुपये से कम का नहीं होगा।

(6) जो कोई भी उप-धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पांच लाख रुपये से कम का नहीं होगा।

9. धर्म-संपरिवर्तन के पश्चात् घोषणा.- (1) संपरिवर्तित व्यक्ति, संपरिवर्तन की तारीख से बहत्तर घंटे के भीतर-भीतर, अनुसूची-3 में विहित प्ररूप में ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने के लिए, उस जिले, जिसमें संपरिवर्तित व्यक्ति साधारणत: निवास करता है, के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, धार्मिक संपरिवर्तन को जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर और स्थानीय स्व–शासन के कार्यालय में प्रदर्शित करेगा और ऐसे मामलों में, जहां धारा 8 के अधीन आपततियों की मांग नहीं की गयी थी, आपततियों की मांग करेगा।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित ब्यौरे, संपरिवर्तित व्यक्ति की विशिष्टियां जैसे कि जन्मतिथि, स्थायी पता, और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, वह धर्म जिससे संपरिवर्तित व्यक्ति मूलत: संबंधित था और वह धर्म जिसमें वह संपरिवर्तित हुआ है, संपरिवर्तन की तारीख तथा स्थान और फोटो पहचान पत्र या आधार कार्ड की एक प्रति के साथ संपरिवर्तन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रकृति, अन्तर्विष्ट होंगे।

(4) संपरिवर्तित व्यष्टि, घोषणा फाइल करने की तारीख से दस दिवस के भीतर-भीतर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगा और घोषणा की विषय-वस्तु की पुष्टि करेगा।

(5) यदि तीस दिवस के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट आपत्तिकर्ताओं के नाम और विशिष्टियां तथा आपत्ति की प्रकृति अभिलिखित करेगा और संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में स्थानीय क्षेत्र पुलिस, राजस्व विभाग या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पदधारियों तथा स्था नीय स्व-शासन विभाग के पदधारियों के माध्यम से जांच की जायेगी। यदि जिला मजिस्ट्रेट उक्त जांच के आधार पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के कारित किये जाने के निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वह संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपराधिक कार्रवाई आरंभ करायेगा।

(6) घोषणा, पुष्टिकरण और रजिस्टर से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को, जिन्होंने घोषणा दी हो या उनके निवेदन पर उनके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को, दी जायेगी।

(7) उप-धारा (1) से (4) का उल्लंघन उक्त संपरिवर्तन को अवैध और शून्य बना देने का प्रभाव रखेगा।

(8) यदि, ऐसे संपरिवर्तन के लिए कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए संधारित रजिस्टर में घोषणा और पुष्टिकरण के तथ्य अभिलिखित करेगा। जिला मजिस्ट्रेट शासकीय अधिसूचना जारी करेगा और साथ ही साथ संबंधित प्राधिकारी को इसके बारे में प्रज्ञापित करेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए "संबंधित प्राधिकारी" से राजस्व विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग और अन्य संबंधित विभाग के नियोजक, पदधारी, नगरीय और ग्रामीण स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानों के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक आदि अभिप्रेत हैं।

(9) ऐसी प्रज्ञापना प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकारी संपरिवर्तन के बारे में सुसंगत शासकीय अभिलेखों में प्रविष्टि करायेगा साथ ही संपरिवर्तित व्यक्ति को सामाजिक हैसियत का उपभोग करने की हकदारी या आर्थिक फायदे जो वह संपरिवर्तन से पूर्व प्राप्त कर रहा था को प्राप्त करने के लिए पुन: वर्गीकृत करेगा।

(10) यदि शासकीय अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् भी संपरिवर्तन के संबंध में कोई आपत्तियां या शिकायत प्राप्त होती है तो जिला मजिस्ट्रेट लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् मामले का पुनर्विलोकन या पुनः अन्वेषण करेगा।

10. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किये जाने पर दंड.- (1) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो संस्था या, यथास्थिति, संगठन के मामलों के प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तिगण, धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित दंड के अध्यधीन होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्देश पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाली ऐसी संस्था या संगठन को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान नहीं करेगी।

(3) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण करते हुए पायी जाती है, तब राज्य सरकार या इसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नियुक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राजस्थान राज्य के भौगोलिक समुच्चयों के भीतर किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए, उस संस्था या संगठन के रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति को हमेशा के लिए रद्द करने के लिए शक्तियां होंगी। राज्य सरकार या इसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नियुक्त किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को, धार्मिक संपरिवर्तन में अंतर्ग्रस्त संस्था या संगठन की सम्पत्ति का अधिहरण करने, ऐसी संस्था या संगठन के वित्तीय लेखों पर रोक लगाये जाने की शक्तियां भी होंगी और ऐसी संस्था या संगठन, यदि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो, एक करोड़ रूपये की शास्ति भी अधिरोपित की जायेगी।

11. अपराध के पक्षकार.- जब, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक, अपराध कारित करने का भागीदार समझा जायेगा और अपराध का दोषी होगा और वह इस प्रकार आरोपित किया जायेगा जैसे कि उक्त अपराध उसने वास्तव में कारित किया हो, अर्थात्,-

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में ऐसा कार्य करता है, जिससे अपराध गठित होता है;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए समर्थ बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कार्य करता है या करने का लोप करता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है;

(iv) कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है, विश्वास दिलाता है या उपाप्त करता है।

12. सम् पति का समपहरण और अधिहरण.- ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति या परिसर, जहां संपरिवर्तन या सामूहिक संपरिवर्तन का अवैध धर्माचार हुआ है, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में ऐसे नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जांच करने के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन समपहृत और अधिहृत किये जाने के लिए दायी होगा।

13. अवैध सन्निर्माण का ध्वस्त किया जाना.- यदि ऐसी संपत्ति या परिसर पर, जहां संपरिवर्तन या सामूहिक संपरिवर्तन का अवैध धर्माचार हुआ है, कोई अवैध/अप्राधिकृत सन्निर्माण(णों)/संरचना है/हैं, तो वह उस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् उसे ध्वस्त किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

स्पष्टीकरण.-I कोई भी ध्वस्त करने का कार्य, किसी पूर्ववर्ती कारण बताओ नोटिस जो या तो स्थानीय नगरपालिका विधियों द्वारा उपबंधित समय के अनुसार या ऐसे नोटिस की

तामील की तारीख से पन्द्रह दिवस के समय के भीतर-भीतर, लौटाया जायेगा, जो भी पश्चात्वर्ती हो, क्रियान्वित नहीं किया जायेगा।

II यदि किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन के सा थ लगा हुआ या किसी नदी या जल निकाय में ऐसा अवैध/अनधिकृत सन्निर्माण/संरचना है/हैं और ऐसे मामले भी, जहां किसी न्यायालय द्वारा ध्वस्त किये जाने का आदेश दिया गया है, तो कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात्, बहत्तर घंटे के भीतर-भीतर ध्वस्त कर दिया जायेगा।

14. सबूत का भार.- इस बात के सबूत का भार, कि कोई धर्म-संपरिवर्तन दुर्व्यपदेशन, गलत सूचना, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रचार, मनाना, प्रकोपन, प्रलोभन, आनलाईन याचना या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह, या विवाह के झांसे द्वारा प्रभावित नहीं था, उस व्यक्ति पर होगा, जिसने संपरिवर्तन कराया है और उस दुष्प्रेरक पर होगा जो ऐसे संपरिवर्तन में सहायता या दुष्प्रेरण करता है।

15. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी या परिवादी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित, या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए या करने के लोप के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जा सकेगी।

16. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

17. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन इस प्रकार किया गया कोई उपांतरण राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा और तदुपरि प्रभावी होगा।

18. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची-1

घोषणा का प्ररूप

[धारा 8 की उप-धारा (1) देखें]

एक धर्म से किसी अन्य में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला ....

राजस्थान।

महोदय,

मैं...........................पुत्र/पुत्री......................... निवासी.........................
....धर्म से.......................................धर्म में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान संपादित करने का आशय रखता/रखती हूं, एतद्द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित आशयित संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूं:

1. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का नाम..

2.(क) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति के पिता का नाम...................................

(ख) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति की माता का नाम.................................

3. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का पता..

मकान संख्या.....................................वार्ड संख्या......................................

मोहल्ला.....................गांव.......................तहसील..................जिला............

4. आयु..(जन्म तिथि)

5. लिंग ....

6. व्यवसाय और मासिक आय..

7. क्या विवाहित या अविवाहित है...

8. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम..

9. यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम और पूरा पता..

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति की विशिष्टियां..

11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित है-

मकान संख्या............वार्ड संख्या.............मोहल्ला....................

गांव.....................तहसील............................जिला...............

12. संपरिवर्तन की तारीख..

13. धर्माचार्य:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव..

(ख) पता...

14. धार्मिक संप्रवर्तक:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव..

(ख) पता..

सत्यापन

मैं,.. एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.............................

दिनांक......................................

स्थान......................................

अनुसूची-2

सूचना का प्ररूप

[धारा 8 की उप-धारा (2) देखें]

एक धर्म से किसी अन्य में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धर्माचार्य द्वारा सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला ....

राजस्थान।

महोदय,

मैं......................... पुत्र/पुत्री......................... निवासी................. ....एतद्द्वारा धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित..........................धर्म से.............................धर्म में उपरोक्त आशयित संपरिवर्तन के लिए सूचना देता/देती हूं जो निम्नानुसार हैं:-

1. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का नाम...

2.(क) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति के पिता का नाम..................................

(ख) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति की माता का नाम..................................

3. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का पता...

मकान संख्या.....................................वार्ड संख्या.....................................

मोहल्ला.....................गांव.......................तहसील..................जिला............

4. आयु..(जन्म तिथि)

5. लिंग ....

6. व्यवसाय और मासिक आय...

7. क्या विवाहित या अविवाहित है...

8. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम..

9. यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम और पूरा पता..

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति की विशिष्टियां...

11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित है-

मकान संख्या............ वार्ड संख्या............. मोहल्ला............ गांव......................

तहसील...........................जिला..

12. संपरिवर्तन की तारीख...

13. धर्माचार्य:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव...

(ख) पता..

14. धार्मिक संप्रवर्तक:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव..

(ख) पता..

सत्यापन

मैं,.. एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.............................

दिनांक......................................

स्थान......................................

अनुसूची-3

घोषणा का प्ररूप

(धारा 9 देखें)

एक धर्म से किसी अन्य में संपरिवर्तन के संबंध में सूचना

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला ....

राजस्थान।

महोदय,

मैं......................... पुत्र/पुत्री......................... निवासी.......................... ....एतद्द्वारा....................धर्म से............................धर्म में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान सम्पादित कर लिये जाने पर, धारा 9 द्वारा यथाअपेक्षित संपरिवर्तन संबंधी सूचना देता/देती हूं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. संपरिवर्तित व्यक्ति का पूरा नाम: (फोटो, पहचान-पत्र और आधारकार्ड की एक प्रति संलग्न)

(क) संपरिवर्तन के पूर्व.............................

(ख) संपरिवर्तन के पश्चात्.........................

2. (क) संपरिवर्तित व्यक्ति के पिता का नाम.....................

(ख) संपरिवर्तित व्यक्ति की माता का नाम..........................

3. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का पता......................................

मकान संख्या............................. वार्ड संख्या...

मोहल्ला.....................गांव............. तहसील................ जिला..............

4. आयु..(जन्म तिथि)

5. लिंग ....

6. व्यवसाय और मासिक आय ....

7. क्या विवाहित या अविवाहित है..

8. संपरिवर्तित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम...

9. यदि कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता...

10. क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, और यदि ऐसा है, तो ऐसी जाति की विशिष्टियां...

11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान सम्पन्न हुआ हो-

मकान संख्या............ वार्ड संख्या............. मोहल्ला............ गांव............

तहसील...........................जिला..

12. संपरिवर्तन की तारीख..

13. धर्माचार्य:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव...

(ख) पता...

14. धार्मिक संप्रवर्तक:...

(क) नाम, अर्हता और अनुभव...

(ख) पता...

15. धर्माचार्य से भिन्न कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते एवं अन्य विशिष्टियां (संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंध, यदि कोई हो) जिन्होंने संपरिवर्तन अनुष्ठान में भाग लिया था:

(1) ....

(2)..

सत्यापन

मैं,... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

साक्षी: (1).................................

साक्षी: (2).................................

दिनांक.....................................

स्थान.....................................

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, October 6, 2025

No. F. 2(30)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Vidhi Virudh Dhram-Samparivartan Pratishedh Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 21):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF RELIGION ACT, 2025

(Act No. 21 of 2025)

(Received the assent of the Governor on the 3rd day of October, 2025)

An
Act

to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, misinformation, force, undue influence, coercion, allurement, online solicitation or by any fraudulent means or by marriage or pretext of marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "allurement" means and includes offer of any temptation in the form of-

(i) any gift, gratification, easy money or material benefit either in cash or kind;

(ii) employment, free education in institutions run by anybody;

(iii) better lifestyle, divine displeasure or otherwise;

(iv) pretext of marriage;

(v) portraying practice, rituals and ceremonies or any integral part of a religion in a detrimental way vis-à-vis another religion; or

(vi) glorifying one religion against another religion;

(b) "coercion" means forcing and compelling an individual to act against his/her will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(c) "conversion" means a process of change at every stage from one set of religion, rituals and beliefs to another religion and its rituals and beliefs but the return of any person already converted to his original religion i.e ancestral religion shall not be deemed conversion;

(d) "convincing for conversion" means to make one person agree to renounce one's religion and adopt another religion;

(e) "digital mode" means and includes any electronic means of communication, data transmission, or content dissemination, including but not limited to:

(i) social media networking sites that facilitate the creation of public or semi-public profiles, connections between users, and the viewing and traversal of such connections within a bounded system;

(ii) social media applications designed for building online communities, sharing interests and activities, and enabling various forms of digital interaction such as electronic mail, messaging applications, and online forums;

(iii) any other online or electronic platform, medium, or device used for communication, information exchange, or content publication.

(f) “district magistrate” means an officer appointed as district magistrate and includes the additional district magistrate;

(g) “force”includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to his parents, siblings, or any other person related by marriage, adoption, guardianship or custodianship or their property including a threat of divine displeasure or social ex-communication;

(h) “fraudulent means” includes impersonation of any kind, by false name, surname, and religious symbol or otherwise;

(i) “Institutions” means and includes all legal entities, educational institutions, orphanages, old age homes, hospitals, religious missionaries, non-governmental organization and such other organizations of public character;

(j) “mass conversion” means where two or more persons are converted;

(k) “minor” means a person under eighteen years of age;

(l) “misinformation” means false or inaccurate information;

(m) “online solicitation” means an act or omission that involves persuading someone to commit conversion through virtual mode;

(n) “person” means any person, individual, group of person, society or trust either registered or unregistered, company or association or body of persons, whether incorporated or not;

(o) “propaganda” means the systematic dissemination of information, ideas, or beliefs, including misinformation, through any medium (printed material, print media, social media, messaging applications, or any other digital mode), with the intent to cause or facilitate unlawful conversion by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement, fraudulent means, marriage, or pretext of marriage;

(p) “property” or “premises” means and include any movable or immovable property which shall include land, benefits to arise out of land, and things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;

(q) “religion” means any organized system of worship pattern, faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(r) “religion convertor”means any person or persons of any religion who performs any act of conversion from one religion to another religion;

(s) “religious priest” means priest of any religion who performs purification sanskar or conversion ceremony of any religion and by whatever name he is called such as pujari, pandit, mulla, maulvi, father etc.;

(t) “undue influence” means the unconscientiously use by one person of his/her power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence;

(u) “unlawful conversion” means any conversion not in accordance with law of the land;

(v) “victim” refers to a person who has suffered any loss or harm as a result of an offence under this Act, and it also includes the guardian and legal heir of such a victim.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), and the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) and any other law for the time being in force in India or in State of Rajasthan shall have the meanings respectively assigned to them in those Codes/Acts.

3. Prohibition of conversion from one religion to another religion by misrepresentation, misinformation, force, undue influence, convincing, propaganda, coercion, allurement, online solicitation, marriage or by pretext of marriage or by any other fraudulent means.- (1) No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use or practice of misrepresentation, misinformation, force, undue influence, coercion, allurement, online solicitation, marriage or by pretext of marriage or by any other fraudulent meansincluding propaganda**.**No person shall abet, convince, provoke or conspire such conversion and any such person who solicits, encourages, abets, aids, assists, colludes and conspires such conversion shall be liable to be prosecuted under the Act in the same manner as if such person himself has committed such act.

Explanation.-For the purposes of this sub-section conversion by solemnization of marriage or relationship in the nature of marriage or on account of pretext of marriage and other factors enumerated in this sub-section shall be deemed included.

(2) No person shall use a false identity, misuse religious, social, or other identities, hurt public sentiments, or commit fraud to gain undue advantage;

(3) No person shall conceal his or her religion with the intent of marriage.

(4)If any person re-converts to original religion i.e. ancestral religion, the same shall not be deemed to be a conversion under this Act.

Explanation.-For the purpose of this sub-section original religion i.e. ancestral religion means the religion in which forefathers/ancestors of the person had faith, belief or was practiced by forefathers/ancestors of the person voluntarily and freely.

4. Person competent to lodge First Information Report.- An information relating to the contravention of the provisions of the Act may be given by any person and the manner of giving such information shall be the same as given in Chapter XIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023).

5. Punishment for contravention of provisions of section 3.- (1) Whoever contravenes the provisions of section 3, shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but which may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakhrupees:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a person with disability, a woman or a person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten lakh rupees:

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion of religion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years but which may extend to imprisonment for life, which

shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty five lakh rupees.

(2) Whoever receives money from any foreign or illegal institutions in connection with unlawful religious conversion shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to twenty years and shall also be liable to fine which shall not be less than twentylakh rupees.

(3) Whoever, with the intent to convert, puts any person in fear of his life or property, assaults or uses force or marries or promises to marry or induces or conspires for the same, or traffics a minor, a woman or a person by enticing them or otherwise selling them, or abets, attempts or conspires in this behalf, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years but which may extend to imprisonment for life, which shall imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine which shall not be less than thirty lakh rupees:

Provided that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

(4) The Court shall award appropriate compensation payable by the accused to the victim of the said conversion, which may extend to ten lakh rupees, in addition to the fine:

Provided that in case the accused fails to make payment of compensation, the amount due may be recovered as arrears of land revenue.

(5) Whoever, having previously been convicted of an offence under this Act, is again convicted of an offence punishable under this Act, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine which shall not be less than fifty lakh rupees.

(6) The property, where the offence of unlawful conversion of the person from one religion to another religion has taken place, shall be forfeited after upholding the due inquiry by any gazetted officer appointed by the District Magistrate or State Government in that regard.

Explanation.- The property includes property which belongs to the person convicted under this Act or belongs to the others but used for unlawful conversion by the person convicted with or without consent of the owner of used property.

6. Marriage done for sole purpose of unlawful conversion or *vice-versa* to be declared null and void.- (1)Any marriage done for sole purpose of unlawful conversion or *vice-versa* by the man of one religion with the woman of another religion, either by converting himself/herself before or after marriage, or by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case on a petition presented by either party thereto against the other party of the marriage.

Explanation.- For the purpose of interpretation of aforesaid provision marriage includes marriage or partnership similar to marriage such as cohabitation of two or more persons in one dwelling or otherwise to undertake the task of unlawful conversion.

(2) Every petition under sub-section (1) shall be presented to the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case within the local limits-

(i) the marriage was solemnized; or

(ii) the respondent, at the time of the presentation of the petition, resides; or

(iii) the parties to the marriage last resided together; or

(iv) in case the wife is the petitioner, where she is residing on the date of presentation of the petition.

7. Offences to be non-bailable and cognizable.- (1) Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

(2) No person accused of any offence punishable under this Act, if in custody, shall be released on bail, unless,-

(a) the Public Prosecutor has been given an opportunity to oppose the bail application for such release; and

(b) where the Public Prosecutor opposes the bail application, the Court of Sessions is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail.

8. Declaration before conversion of religion and pre-report about conversion.- (1)One who desires to convert his/her religion, shall give a declaration in the form prescribed in Schedule-I at least ninety days in advance, to the District Magistrate or the Additional District Magistrate specially authorized by the District Magistrate, that he/she wishes to convert his/her religion on his/her own and with his/her free consent and without any force, coercion, undue influence, propaganda, convincing, allurement, misrepresentation, misinformation, online solicitation or by any other fraudulent means.

(2) The religion convertor,and religious priest who performs conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give two month's advance notice in the form prescribed in Schedule-II of such conversion, to the District Magistrate or any other officer not below the rank of Additional District Magistrate appointed for that purpose by the District Magistrate of the District where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-section (1) or (2) shall display a proposal of religious conversion on the notice board of any of the office of the District Magistrate, Tehsildar, Gram Panchayat and in the office of the Local Self-Government as the case demands for calling objections. If any objections are received within sixty days, he shall get time bound inquiry conducted through any of the local area police, officials of Revenue Department or Social Justice and Empowerment Department, and officials of local self-government as the case demands with regard to genuine intention, purpose and cause of the proposed religious conversion, if situation so warrants.The above-mentioned authorities on its part shall conduct and conclude the said inquiry as directed by the District Magistrate preferably within a period of ten days from the receipt of such reference by District Magistrate or by any other person so appointed by him in that regard.

(4) Contravention of sub-section (1) and/or sub-section (2) shall have the effect of rendering the proposed conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than seven years but may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees three lakh.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than ten years but may extend to fourteen years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees five lakh.

9. Declaration post conversion of religion.- (1) The converted person shall appear in person to submit declaration in the form prescribed in Schedule-III within seventy two hoursof the date of conversion, to the District Magistrate of the District in which converted person resides ordinarily.

(2) The District Magistrate shall display religious conversion on the notice board of the office of the District Magistrate, Tehsildar, Gram Panchayat and in the office of the Local Self-Government and shall call for objections in such cases where no objections were called under section 8.

(3) The said declaration shall contain the requisite details, i.e. the particulars of the converted person such as date of birth, permanent address, the present place of residence, father's/husband's name, the religion to which the converted person originally belonged and the religion to which the person has converted, the date and place of conversion and nature of process gone through for conversion along with a copy of the Photo Identity card and the Aadhar card.

(4) The converted individual shall appear before the District Magistrate within tendays from the date of filling the declaration to establish his/her identity and confirm the contents of the declaration.

(5) If any objections are received within thirty days, the District Magistrate shall record the name and particulars of objectors and the nature of objection and shall get an inquiry conducted through local area police, officials of Revenue Department or Social Justice and Empowerment Department, and officials of Local Self-Government with regard to genuine intention, purpose and cause of the conversion. If the District Magistrate based on the said inquiry comes to a conclusion of the commission of an offence under this Act, he shall cause the concerned police authorities to initiate criminal action for contravention of the provisions of the Act.

(6) Certified copies of declaration, confirmation and the extracts from the register shall be furnished only to the parties, who gave the declaration.

(7) The contravention of sub-sections (1) to (4) shall have the effect of rendering the said conversion illegal and void.

(8) If no objections are received for such conversion, the District Magistrate shall record the factum of declaration and confirmation in a register maintained for this purpose. The District Magistrate shall issue an official notification and shall simultaneously intimate the concerned authority about it.

Explanation.- For the purpose of this sub-section “concerned authority” means his employer, officials of the Revenue Department, Social Justice and Empowerment Department, Minority Affairs Department and other concerned department, Urban and Rural Local Bodies, Principals or Head Masters of the Educational Institutions, etc.

(9) On receipt of such intimation the concerned authority shall cause to be entered in the relevant official records about conversion as well as reclassify the person converted for his entitlement to enjoy social status or to receive economic benefits from the State Government that he was getting prior to conversion.

(10) If any objections or complaint regarding conversion are received even after the publication in official notification the District Magistrate shall review or reinvestigate the case after recording the reasons in writing.

10. Punishment for violation of provisions of the Act by an institution or organization.- (1) If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organization or the institution, as the case may be, shall be subject to punishment as provided under section 5 and the registration of the organization or the institution under any law for the time being in force may be cancelled by the competent authority upon reference made by the District Magistrate in this regard.

(2) The State Government shall not provide any financial aid or grant to such institution or organization violating the provisions of this Act.

(3) If any Institution or organization is found violating any provisions of this Act, then the State Government or any other competent authority so appointed by it under the Act shall have the powers to cancel the registration or license of that institution or organization forever, to carry out any kind of activities within the geographical contours of the State of Rajasthan. Furthermore, the State Government or any other competent authority so appointed by it under the Act shall also have the powers to confiscate property of the institution or organization involved in religious conversion, freeze the financial accounts of such institution or organization and such institution or organization shall also be inflicted with the penalty of rupees one crore if found contravening the provisions of the Act.

11. Parties to offence.- When an offence is committed under this Act, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and shall be guilty of the offence, and shall be charged as if he has actually committed the said offence, that is to say,-

(i) every person who actually does the act which constitutes the offence;

(ii) every person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence;

(iii) every person who aids or abets another person in committing the offence;

(iv) any person who counsels, convinces or procures any other person to commit the offence.

12. Forfeiture and confiscation of property.- Every such property or premises where the illegal exercise of conversion or mass conversion has taken place shall be liable to be forfeited and confiscated under the Act by the office of District Magistrate or by any other person so appointed in that regard by the State Government, after holding the inquiry.

13. Demolition of illegal construction.-If there is/are any illegal/ unauthorized construction(s)/ structure on such property or premises where the illegal exercise of conversion or mass conversion has taken place, shall be liable to be demolished after upholding the inquiry by any gazetted officer appointed by the District Magistrate or the State Government in that regard.

Explanation.-I No demolition shall be carried out without a prior show cause notice returnable either in accordance with the time provided by the local municipal laws or within fifteen days' time from the date of service of such notice, whichever is later.

II If such illegal/unauthorized construction(s)/structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies and also to cases where there is an order for demolition made by a Court of law, the demolition shall be carried out within seventy two hours after giving a show cause notice.

14. Burden of proof.- The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, misinformation, force, undue influence, coercion, propaganda,convincing, provocation, allurement, online solicitation or by any fraudulent means or by marriage, or pretext of marriage lies on the person who has caused the conversion and on the abettor who aids or abets such conversion.

15. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any authority or officer or complainant for anything done in good faith or intended to be done, or purported to be done, or omitted to be done in pursuance of this Act, or any rule or order made thereunder.

16. Act to be in addition to any other law. -The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

17. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Any modification so made under sub-section (2) shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

18. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature.

SCHEDULE-I

Form of Declaration

[See sub-section (1) of section 8]

Intimation regarding intended conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate
District..........................
Rajasthan.

Sir,

I,...S/o/D/o..................................... R/o... intend to perform necessary ceremony for conversion from..................................religion to...................................religion, do hereby, give intimation of intended conversionas required by sub-section (1) of section 8:

1. Name of the person to be converted...
2. Name of the :
   (a) Father of the person to be converted..
   (b) Mother of the person to be converted...
3. Address of the person to be converted
   House No.....................Ward No..................Mohalla...............................
   Village................................Tehsil...........................District.......................
4. Age...(DOB)
5. Sex..
6. Occupation and monthly income ....
7. Whether married or unmarried...
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted..
9. If any minor, name and full address of the guardian, if any ....
10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste..
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-
    House No.....................Ward No..................Mohalla...............................
    Village................................Tehsil...........................District......................
12. Date for Conversion…………………………
13. Religious priest:
    (a) Name, qualification and experience...
    ....
    (b)Address..
    ....
14. Religious convertor:
    (a) Name, qualification and experience...
    ....
    (b)Address..
    ....

VERIFICATION

I, ...do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature………………….
Date……………………….
Place………………………

SCHEDULE-II

Form of Notice

[See sub-section (2) of section 8]

Notice by the religious priest regarding intended conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate
District..........................
Rajasthan.

Sir,

I,..S/o/D/o.....................................R/o................ .... do hereby, give notice as required by sub-section (2) of section 8 for intended conversion from.......................religion to........................religion and particulars of aforesaid intended conversion are as below:

1. Name of the person to be converted...
2. Name of the:
   (a) Father of the person to be converted...
   (b) Mother of the person to be converted...
3. Address of the person to be converted
   House No.....................Ward No...................Mohalla..............................
   Village................................Tehsil............................District.......................
4. Age..(DOB)
5. Sex..
6. Occupation and monthly income...
7. Whether married or unmarried..
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted..
9. If any minor, name and full address of the guardian,if any...
10. Whether belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste...
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-
   House No.....................Ward No...................Mohalla...............................
   Village................................Tehsil............................District.......................
12. Date for Conversion……………………..
13. Religious priest:
   (a) Name, qualification and experience.. ....
   (b) Address.. ....
14. Religious convertor:
   (a) Name, qualification and experience.. ....
   (b)Address.. ....

VERIFICATION

I, ...do herebydeclare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature………………..
Date……………………..
Place……………………

SCHEDULE-III

Form of Declaration

(See section 9)

Intimation regarding conversion from one religion to another

To,

The District Magistrate
District.........................
Rajasthan.

Sir,

I,...S/o/D/o......................................R/o............. .... having performed the necessary ceremony for conversion from..................... religion to.......................religion, do hereby, give intimation of the conversion as required by section 9 as under:

1. Full Name of the person converted: (attach a copy of the Photo Identity card and Aadharcard)
   (a) before conversion..
   (b) after conversion...
2. Name of the :
   (a) Father of the person converted..
   (b) Mother of the person converted..
3. Address of the person to be converted
   House No....................Ward No..................Mohalla...............................
   Village................................Tehsil...........................District......................
4. Age...(DOB)
5. Sex...
6. Occupation and monthly income ....
7. Whether married or unmarried..
8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted...
9. If any minor, name and full address of the guardian,if any...
10. Whether belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste...
11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details-
    House No....................Ward No..................Mohalla...............................
    Village................................Tehsil...........................District......................
12. Date for Conversion.............................
13. Religious priest:
    (a) Name, qualification and experience...
    ....
    (b) Address...
    ....
14. Religious convertor:
    (a) Name, qualification and experience...
    ....
    (b)Address..
    ....

15. Names, addresses and other particulars (relationships with the person converted, if any) of at least two persons other than religious priest who had taken part in the conversion ceremony:

(1)...
....

(2)...
....

VERIFICATION

I, ...do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature……………………………

Witness: (1).......................................

Witness: (2).......................................

Date…………………
Place………………...

ब्रजेन्द्र जैन,

Principal Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।